



राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254

टैलीफैक्स : 0135-2662251, 2662257

E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या- 3122/रा0नि0आ0अनु0-2/4514/2025

देहरादून: दिनांक: 11 नवम्बर, 2025

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) की त्रिस्तरीय पंचायतों के सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत के रिक्त पदों/स्थानों पर उप निर्वाचन कराये जाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा अधिसूचना संख्या-3122/रा0नि0आ0अनु0-2/4514/2025 दिनांक 11.11.2025 निर्गत होने के साथ ही तात्कालिक प्रभाव से उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) की उन ग्राम पंचायतों/क्षेत्र पंचायतों/जिला पंचायतों, जिनमें उप निर्वाचन कराये जा रहे हैं, के सम्बन्धित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता मतगणना समाप्ति तक प्रभावी की जाती है।

(सुशील कुमार)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या- 3122/रा0नि0आ0अनु0-2/4514/2025 तददिनांक।(ईमेल)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी एवं कुमांऊ।
7. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0), उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।
8. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(सुशील कुमार)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।